Witness No...02..For.. **अभियोजन साक्षी**..Deposition Taken Date..09.03.2026....

Witness's Apparentage. States On Affirmation. **शपथ पूर्वक**.....

My Name ..**अर्जून सिंह**.. S/ Of.....**मोतीलाल** ...**उम्र. 27 वर्ष**....

Occupation– .....**मजदूर**....

Address–..**ग्राम अखराडाड, थाना–खडगवां, जिला–एमसीबी (छ०ग०)**.....

प्रारंभ समयः– 3.00 बजे

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०

1. मै आरोपीगण को जानता हूं। आरोपी पन्नालाल एवं उसकी पत्नी मीरा बाई चिरमिरी के निवासी है इसलिए उन्हें जानता हूं। प्रार्थिया ज्योति कुंवर मेरी बडी मां है। मेरे पिता मोती लाल की मृत्यु को 08–09 साल से अधिक हो गये है । मेरे पिता मोती लाल की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी।
2. मेरे पिता मोतीलाल एस ई सी एल में नौकरी करते थे। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरे भाई पप्पू सिंह का अनुकम्पा में एस ई सी एल में नौकरी लगा था। मेरे भाई के नौकरी लगाने का काम आरोपी पन्नालाल अपने हाथ में लिया था किन्तु उसके द्वारा बीच में काम को छोड दिया था तब हम लोगो ने दूसरे आदमी से भाई के नौकरी का काम करवाया था।
3. नौकरी लगवाने के एवज में आरोपी ने 500000/–रूपये की मांग की थी। जिस पर मेरी मां ज्योति कुंवर ने ढाई लाख रूपये आरोपी पन्नालाल को दिये थे किन्तु पन्नालाल के द्वारा भाई की नौकरी नहीं लगवा पाने के कारण हम लोगो ने उससे पैसे वापस मांगे तब उसने केवल 100000/–रूपये को ही वापस किये थे बाकी को वापस नही किया था।
4. हम लोग कई बार उससे बाकी पैसे को मांगे थे किन्तु वह टाल मटोल करने लगा और पैसे आज तक नहीं दिया। इसके अतिरिक्त आरोपी ने मेरी मां से और कितना पैसा लिया था उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

5. मेरी मां ने गोदरीपारा के किसी वकील से सलाह से रिर्पोट करायी थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

टीपः–इसी स्तर पर एडीपीओ के द्वारा साक्षी को प्रतिपिरीक्षण स्वरूप सूचक प्रश्न पूछने का अनुमति चाहा गया, विचार बाद अनुमति प्रदान किया गया ।

6. यह कहना सही है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 28–04–2009 को सांप के काटने से हुआ था। यह कहना सही है कि मेरे माता को फोरम से मेरे पिता के मृत्यु पश्चात राहत राशि 505625/–रूपये का चेक मिला था।
7. यह कहना सही है कि पन्नालाल, मेरा भाई एवं मेरी मां चेक लेने के लिये कोरिया कलेक्ट्रेट गये थे। यह कहना सही है कि पन्नालाल ने उक्त चेक को अपने पास यह कहकर रख लिया था कि पासबुक आहरण के लिये लाना पडेगा जब लेकर आओगे तो भुगतान होगा। यह कहना सही है कि दिनांक 07–12–2012 को पन्नालाल चेक लेकर घर आया और मेरी मां को बोला कि पासबुक लेकर बैंक चलो मैं पैसा जमा करा दूंगा।
8. यह कहना सही है कि मेरी मां ने बताया था कि बैंक मे पन्नालाल ने कई दस्तावेजो में मेरा अगूंठा लगवाया था और बोला था कि आज काम नहीं होगा दूसरे दिन होगा तब वे लोग घर आ गये। यह कहना सही है कि दिनांक 08–12–2012 को मै और मेरी मां दोबारा कुरासिया गोदरीपारा बैंक गये थे।
9. यह कहना सही है कि बैंक वालो मुझे और मेरी मां को बताया था कि तुम्हारे खाते में 505625/–रूपये जमा हो गया है और उसी से पन्नालाल अपनी पत्नी नाम पर निकासी राशि 252000/–रूपये जमा कराया है। यह कहना सही है कि आरोपी पन्नालाल ने फर्जी तरीके से मेरी से अगूंठा लगाकर 252000/–रूपये अपनी पत्नी के खाते में जमा कर लिया है । यह कहना सही है कि हम लोगो के द्वारा उक्त पैसे की मांग करने पर आरोपी टाल मटोल करता था।
10. मुझे इस बात की जानकारी नही है कि सी एस पी कार्यालय के सामने दिनांक 10–05–2013 को आरोपी को 100/–रूपये के स्टाम्प पेपर में लिखा पढी किया था तथा एक लाख रूपये मेरी मां को दिया था और शेष राशि एक सप्ताह में वापस करने का कथन किया था।

11. यह कहना सही है कि आरोपी ने 152000/–रूपये को नहीं लौटाया, जिसके बाद मेरी मां ने शिकायत की थी।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जोशी डे अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण</u>

12. यह कहना सही है कि मैने पुलिस को "मेरे पिता मोतीलाल एस ई सी एल में नौकरी करते थे। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरे भाई पप्पू सिंह का अनुकम्पा में एस ई सी एल में नौकरी लगा था। मेरे भाई के नौकरी लगाने का काम आरोपी पन्नालाल अपने हाथ में लिया था किन्तु उसके द्वारा बीच में काम को छोड दिया था तब हम लोगो ने दूसरे आदमी से भाई के नौकरी का काम करवाया था।" को बता दिया था यदि उक्त कथन पुलिस ने मेरे बयान प्र०डी० 1 में न लिखा हो तो उसका कारण मै नहीं बता सकता । यह कहना गलत है कि मै उक्त बाते पहली बार न्यायालय में बता रहा हूं।

13. यह कहना गलत है कि मैने मुख्य परीक्षण में बतायी बात कि "नौकरी लगवाने के एवज में आरोपी ने 500000/–रूपये की मांग की थी। जिस पर मेरी मां ज्योति कुंवर ने ढाई लाख रूपये आरोपी पन्नालाल को दिये थे किन्तु पन्नालाल के द्वारा भाई की नौकरी नहीं लगवा पाने के कारण हम लोगो ने उससे पैसे वापस मांगे तब उसने केवल 100000/–रूपये को ही वापस किये थे बाकी को वापस नही किया था," पुलिस को बयान देते वक्त नही बताया था। यदि उक्त कथन पुलिस ने मेरे बयान प्र०डी० 1 में न लिखा हो तो उसका कारण मै नहीं बता सकता । यह कहना गलत है कि मै उक्त बाते पहली बार न्यायालय में बता रहा हूं।

14. हम लोग चार भाई है। मै पढाई नहीं किया हूं । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मेरे पिताजी एस ई सी एल में किस पद पर कार्य करते थे। यह कहना सही है कि मै लिखना पढना जानता हूँ। यह कहना सही है कि मेरे पिता के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात हम लोगो का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी थी। हम भाई बहन भी कोई नौकरी चाकरी नही करते थे।

15. यह कहना सही है कि हम लोग आरोपी के पास पिता के मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति मे सहयोग करने हेतु मिले थे। यह कहना सही है कि आरोपी उक्त अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध मे हम लोगो का मदद कर रहा था। यह कहना सही है कि आरोपी से जरूरत पडने पर बीच–बीच में रूपये की मदद लेते थे। यह कहना सही है कि आवश्यकता पडने पर हम लोग आरोपी के घर भी जाया करते थे।

16. यह कहना गलत है कि कोरिया कलेक्ट्रेट से मेरे पिता के मृत्यु पश्चात राहत राशि का चेक नहीं मिला था । स्वतः कहता है कि घर पर मेरी मां एवं मेरे भाई ने चेक मिलना बताया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राहत की राशि का चेक जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम बैकुण्ठपुर कोरिया छ०ग० से मिला था।

17. यह कहना सही है कि राहत राशि का चेक मेरी मां को मिला था। यह कहना सही है कि मुझे निश्चित चेक राशि मालूम नही है । साक्षी स्वतः कहता है कि मेरी मां ने मुझे पांच लाख कुछ रूपये का चेक होना बता रही थी। यह कहना सही है कि दिनांक 07–12–2012 को मेरी मां उक्त चेक को जमा करने बैंक गयी थी।

18. यह कहना गलत है कि मेरी मां के पास पूर्व से ही पासबुक था। यह कहना सही है कि जब मेरे पिता जीवित थे तब मेरी माता एवं मेरा भाई पप्पू सिंह बैंक लेन देन के लिये जाते थ । स्वतः कहता है कि मै छोटा था तो मुझे नहीं ले जाते थे।

19. मेरा बैंक में खाता है । यह कहना सही है कि मैं भी बैंक से लेन देन करता हूं। यह कहना सही है कि जमा पर्ची एवं निकासी पर्ची बैंक के अदंर प्राप्त होता है। यह कहना सही है कि किसी बडी राशि को जमा करने एवे निकालने के वक्त बैंक वाले पूछताछ करते है। यह कहना सही है कि बैंक वाले जमा करने एवं निकालने का कारण भी पूछते है।

20. मुझे इस बात की जानकारी नही है कि यदि गलती से किसी दूसरे के खाते में धनराशि अंतरित हो जाये तो बैंक जाकर उसे रूकवाया जा सकता है। यह कहना सही है कि किसी और के खाते में पैसा चला जाये तो बैंक जाकर शिकायत किया जा सकता है। यह कहना सही है कि शिकायत होने पर बैंक अधिकारी पैसे पर रोक लगा देते है।

21. यह कहना सही है कि मेरे सामने आरोपी द्वारा किसी दस्तावेज पर मेरी मां का अगूंठा निशान नहीं लिया गया था। स्वतः कहता है कि मां ने घर आने के बाद बताया था। यह कहना सही है कि हम लोग कोई लिखित शिकायत बैंक में नहीं किये थे। यह कहना सही है कि मेरी मा ने मुझे दूसरे के खाते में पैसा जाने की जानकारी घर में नहीं दी थी।
22. मुझे इस बात की जानकारी नही है कि घटना की शिकायत थाने में की गई थी । स्वतः कहता है कि मां गई थी। यह कहना सही है कि मां किस थाने गई, क्या शिकायत की इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि मेरी मां ने मुझे मीरा के खाते मे कितनी राशि जमा की हूं इसकी कोई जानकारी नही दी थी।
23. यह कहना गलत है कि हम लोगो ने आरोपी से आवश्यकता पडने पर लगभग ढाई लाख से उपर की रकम उधार लिया था। यह कहना गलत है कि मेरी मां ने उक्त उधार को लौटाने के लिये बैंक में आरोपी के खाते में पैसा जमा किया था। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि पुलिस वाले क्या क्या कार्यवाही किये। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना दिनांक को मेरी मां ने आरोपी के खाते में पैसा जमा कर घर चली गयी थी।
24. मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मेरी मां अपना पासबुक लेकर घर वापस आयी थी। यह कहना सही है कि मै थाना नहीं गया था। यह कहना सही है कि मै पुलिस को बयान नही दिया था। यह कहना सही है कि आरोपी मेरे भाई के नौकरी लगवाने में भाग दौड कर रहा था।
25. यह कहना सही है कि मेरे भाई की अनुकम्पा नियुक्ति के समय में हनुमान मंदिर के नीचे रहने वाला राकेश नामक व्यक्ति से मदद किया था। यह कहना सही है कि अनुकम्पा नियुक्ति के समय राकेश नामक व्यक्ति 70000/–रूपये के आसपास दिये थे।
26. यह कहना गलत है कि हमने आरोपी से कोई पैसे का मांग नहीं किया था। यह कहना गलत है कि इसके अतिरिक्त आरोपी ने मेरी मां से कितना पैसा लिया होगा इसकी जानकारी मैने पुलिस को नहीं बतायी थी। मुझे इसकी जानकारी नही है कि वकील के सलाह से हमने उच्च न्यायालय मे दावा किया था।

27. यह कहना गलत है कि हम आरोपी से पैसे प्राप्त करने के लिये उसके विरूद्ध झूठा आरोप लगा रहे थे । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि उत्तराधिकार का प्रकरण मनेन्द्रगढ में चला था। मेरा भाई पप्पू पढा लिखा नहीं है । यह कहना गलत है कि मेरी माता ने मुझे कोई बात नहीं बतायी थी ।

28. यह कहना गलत है कि आरोपी पन्नालाल की पत्नी के खाते में मेरी मां ने 252000/–रूपये की राशि जमा करवाया था। यह कहना गलत है कि उक्त राशि आरोपीगण से लेन देन के चलते जमा की गयी थी। यह कहना गलत है कि हमने जानबूझकर पैसे वसूलने के लिये वर्ष 2012 के मामले का शिकायत वर्ष 2022 में किया है। यह कहना सही है कि इसके पहले कोई भी शिकायत नहीं की गयी थी।

पुनः परीक्षण कुछ नही ।
समाप्त समय 4.00 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया गया
उसने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

गवाह का हस्ताक्षर

सही/–
(अंशुल वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चिरमिरी जिला–कोरिया छ०ग०

सही/–
(अंशुल वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चिरमिरी जिला–कोरिया छ०ग०